(भाग 1)

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, श्रीडूंगरगढ़, जिला बीकानेर।

पीठासीन अधिकारी सरिता नौशाद, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या 10/2014
सी.आई.एस.नंबर 138/2014
सी.एन.आर.नम्बर **RJBK130000092014**
निर्णय दिनांक 16-03-2026 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 300/2013 पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ़ अपराध अंतर्गत धारा 395 भा.द.सं.

भाग प्रथम

परिवादी	शमशेरसिंह पुत्र रामावतार निवासी तिलकनगर बीकानेर।
प्रस्तुत द्वारा	श्री सोहननाथ सिद्ध, विद्वान अपर लोक अभियोजक, श्रीडूंगरगढ़।
अभियुक्तगण	1- संदीप कुमार पुत्र महेन्द्रसिंह 2- हरिराम उर्फ हरिसंह पुत्र निराणाराम 3- अभिषेक उर्फ टोनी पुत्र गजराजसिंह 4- दिनेश पुत्र ओमप्रकाश **5- किशोरसिंह पुत्र अमरसिंह(मफरूर दिनांक 25-08-2025 से)** निवासीगण रामपुरा पुलिस थाना हमीरवास जिला चूरू।
अभियुक्तगण अधिवक्ता	श्री रणवीरसिंह खीची

(ख)

घटना की दिनांक	**04-08-2013**
लिखित रिपोर्ट की दिनांक	**04-08-2013**
आरोप-पत्र की दिनांक	**27-05-2014**
आरोप विरचना की दिनांक	**05-11-2014**
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक	**25-03-2015**
निर्णय सुरक्षित की दिनांक	**---**
निर्णय दिनांक	**16-03-2026**
दण्डादेश की दिनांक	**-----**

अभियुक्त विवरण

क्र सं	नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहायी की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त	अधिरोपित सजा	धारा 428 दंप्रसं के तहत समायोजन वास्ते निरूद्ध समयावधि
1	संदीप कुमार	22-01-2014	24-08-2016	धारा 395 भा.द.सं.	धारा 395 भा.द.सं.	--	22-01-2014 से 24-01-2014 तक पुलिस अभिरक्षा व दिनांक 24-01-2014 से 24-08-

							2016 तक न्यायिक अभिरक्षा
2	हरिराम उर्फ हरिसंह	03-03-2016	21-10-2016	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	--	3-3-2016 से 04-03-2016 तक पुलिस अभिरक्षा व दिनांक 4-03-2016 से 21-10-2016 तक न्यायिक अभिरक्षा
3	अभिषेक उर्फ टोनी	20-03--2015	16-05-2015	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	--	20-03–2015 को पुलिस अभिरक्षा तत्पश्चात दिनांक 16-05-2015 तक न्यायिक अभिरक्षा
4	दिनेश	26-02-2016	19-03-2016	उपरोक्तानुसार	उपरोक्तानुसार	--	26-02-2016 से 27-02-2016 तक पुलिस अभिरक्षा व दिनांक 27-02-2016 से 19-03-2016 तक न्यायिक अभिरक्षा

1- भाग द्वितीय 2

अभियोजन /बचाव/न्यायालय गवाह सूची

अ-अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू.1	बनवारीलाल	जब्ती बाबत
पी.डब्ल्यू.2	अशोक कुमार	नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू.3	महेन्द्र तावणिया	नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू.4	शमशेरसिंह	परिवादी
पी.डब्ल्यू.5	निसार खां	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू.6	ईस्लाम खां	आरोप पत्र बाबत
पी.डब्ल्यू.7	उदयसिंह	मालखाना इन्चार्ज
पी.डब्ल्यू.8	राजेन्द्र कुमार	जब्ती बाबत
पी.डब्ल्यू.9	शान्तनु	वाहन मालिक
पी.डब्ल्यू.10	रामफलसिंह	पुलिस मुलाजमान
पी.डब्ल्यू.11	भंवरलाल	गिरफ्तारी बाबत

1- ब-बचाव गवाह

रैंक	-----	---------

स-न्यायालय गवाह

रैंक	--------	---------

1.

अभियोजन/बचाव/ न्यायालय प्रदर्श

अ-अभियोजन प्रदर्श

क्र सं	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श पी 1	फर्द जब्ती स्कोर्पिओ गाड़ी
2	प्रदर्श पी02 व 2(ए)	फर्द नक्शा व हालात मौका घटनास्थल
3	प्रदर्श पी 3 प्रदर्श पी 4	तहरीरी रिपोर्ट
4	प्रदर्श पी 5	एफ.आई.आर.
5	प्रदर्श पी 6	नोटिस अंतर्गत धारा 133 एम.वी. एक्ट
6	प्रदर्श पी 7	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त संदीपकुमार
7	प्रदर्श पी 8	फर्द इत्तला अभियुक्त संदीप अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम
9	प्रदर्श पी 9	नक्शा मौका
10	प्रदर्श पी 10	हालात मौका तस्दीक घटनास्थल अभियुक्त संदीप
11	प्रदर्श पी 11	प्रोडक्शन वारंट बाबत प्रार्थना पत्र
12	प्रदर्श पी 12	अभियुक्त अभिषेक उर्फ टोनी को तफ्तीश हेतु सुपुर्द करने बाबत् प्रार्थना-पत्र
13	प्रदर्श पी 13	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अभिषेक उर्फ टोनी
14	प्रदर्श पी 14	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त अभिषेक उर्फ टोनी
15	प्रदर्श पी 15,16	नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल तस्दीक अभियुक्तअभिषेक उर्फ टोनी
16	प्रदर्श पी 17	गाड़ी की इनवॉइसस
17	प्रदर्श पी 18	रजिस्ट्रीकरण का अस्थाई प्रमाण-पत्र
18	प्रदर्श पी 19	ईन्श्योरेंस की प्रति
19	प्रदर्श पी 20	ईन्श्योरेंस की प्रति
20	प्रदर्श पी 21	अंतिम रिपोर्ट
21	प्रदर्श पी 22ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
22	प्रदर्श पी 23	पोडक्शन वारण्ट अभियुक्त किशोरसिंह
23	प्रदर्श पी 24	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त किशोरसिंह
24	प्रदर्श पी 25	फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त किशोरसिंह
25	प्रदर्श पी 26 व 26	नक्शा मौका व हालात मौका घटनास्थल तस्दीक अभियुक्त किशोरसिंह
ख- बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
1	प्रदर्श डी1	पुलिस बयान शमशेरसिंह अन्तर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी

<u>निर्णय</u> **दिनांक 16-03-2026**

1- प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 04/08/2013 को 02-15 पी.एम. पर श्री शमशेरसिंह पुत्र रामावतार ने एस.एच.ओ. पुलिस थाना श्रीडुंगरगढ़ के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की एक खरीदशुदा स्कोर्पिओं गाड़ी जिसके टेम्प्रेरी नंबर आर.जे.07-यू.ए.-298001 थी। जिसका रजिस्टर्ड स्वामी शान्तनुकुमार स्वामी निवासी तिलक नगर, बीकानेर है। जिसके डॉक्युमेंट्स उक्त गाड़ी में थे। दिनांक 01/08/2013 को प्रार्थी बीकानेर से रवाना होकर छोगाबास जा रहा था। इसके साथ देवीसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपूत निवासी उदासर (बीकानेर) था। गाड़ी का रंग सफेद था। ये रात्रि करीबन 11 बजे श्रीडुंगरगढ पंहुचे और श्रीडुंगरगढ से सरदारशहर रोड़ की तरफ रवाना हुए तो एक बोलेरो कैंपर गाड़ी रंग सफेद ने इनका पीछा करना शुरू कर दिया। जब ये जैतासर के पास पहुंचा तो कैंपर गाड़ी का इनकी गाड़ी के आगे रोककर इन्हें डराया-धमकाया और पिस्तौल निकालकर स्कोर्पिओं गाड़ी को छीनकर ले गये।

2- उक्त कैम्पर गाड़ी में 5-6 व्यक्ति थे जिनकी उम्र 25-30 वर्ष के बीच की थी। जिनको देखने पर पहचानना और अपने स्तर पर व अपने रिश्तेदार से बातचीत कर हाजिर थाना होकर श्रीडुंगरगढ में रिपोर्ट दर्ज करवाना बताया। अब तक फाईनेंस कंपनी वालो के पास तलाश करने व कागजात निकलवाने के कारण देरी होना बताया और मूल कागजात अपनी गाड़ी में होना बताया।

3- उक्त रिपोर्ट पर एफ.आई.आर. नंबर 300/2013 अंतर्गत धारा 392 भारतीय दंड संहिता में दर्ज की जाकर बाद अनुसंधान एस.एच.ओ. पुलिस थाना श्रीडुंगरगढ द्वारा दिनांक 27-05-2014 को अभियुक्त संदीप के विरूद्ध आरोपत्र , दिनांक 01-07-2015 को अभियुक्त अभिषेक उर्फ टोनी के विरूद्ध तितम्बा चार्जशीट, दिनांक 26-05-2016 को अभियुक्त दिनेश व हरिराम के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 395 भारतीय दंड संहिता में आरोप पत्र पेश किए गए तथा अभियुक्त किशोरसिंह के विरूद्ध दिनांक 15-06-2017 को अंतर्गत धारा 299 दंड प्रक्रिया संहिता के न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीडुंगरगढ में चालान पेश किया गया। बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 395 भारतीय दंड संहिता का प्रसंज्ञान लिया गया व दिनांक 08/06/2016 को प्रकरण को माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय बीकानेर के न्यायालय में कमिट किया गया।

दिनांक 23/07/2014 को श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर के आदेशानुसार यह पत्रावली स्थानांतरित होकर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02, कैंप कोर्ट श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर को प्राप्त हुई जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विचारण प्रारंभ किया गया।

4- दिनांक 05/11/2014 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण संदीप व अभिषेक उर्फ टोनी को दिनांक 05/11/2014 को तथा अभियुक्त हरिराम उर्फ हरिसिंह व दिनांक के संबंध में दिनांक 08/11/2016 को बहस चार्ज सुनी जाकर तथा अभियुक्त किशोरसिंह के संबंध में दिनांक 06/12/2017 को बहस चार्ज सुनी जाकर अंतर्गत धारा 395 भारतीय दंड संहिता का चार्ज पृथक रूप से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य तलब की गई।

5- अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.01 बनवारीलाल (गवाह फर्द जब्ती प्रदर्श पी01), पी.ड.02 अशोक कुमार शर्मा (प्रदर्श पी02 नक्शा व हालात मौका का गवाह), पी.ड.03 महेंद्र (नक्शा मौका प्रदर्श पी02 का गवाह), पी.ड.04 शमशेरसिंह परिवादी, पी.ड.05 मिसार खां अनुसंधान अधिकारी, पी.ड.06 इस्लाम खां अनुसंधान अधिकारी, पी.ड. 07 उदयसिंह एच.एम. मालखाना, पी.ड.08 राजेंद्र कुमार (प्रदर्श पी05 फर्द जब्ती का गवाह व कार्यवाहक थानाधिकारी), पी.ड.09 शान्तनु वाहन स्वामी, पी.ड.10 रामफलसिंह (फर्द गिरफ्तारी का गवाह व अनुसंधान अधिकारी), पी.ड.11 भंवरलाल फर्द गिरफ्तारी गवाह के बयान लेखबद्ध करवाये गये। अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी01 फर्द जब्ती स्कोर्पिओ गाड़ी, प्रदर्श पी02 व 2(ए) फर्द नक्शा व हालात मौका घटनास्थल, प्रदर्श पी03 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श पी04 चार एफ.आई.आर., प्रदर्श पी05 एफ.आई.आर. नंबर 252/2013 का सत्यप्रति, प्रदर्श पी06 नोटिस अंतर्गत धारा 133 एम.वी. एक्ट, प्रदर्श पी07 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त संदीपकुमार, प्रदर्श पी08 फर्द इत्तला अभियुक्त संदीप अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम, प्रदर्श पी09 नक्शा मौका व प्रदर्श पी10 हालात मौका तस्दीक घटनास्थल अभियुक्त संदीप, प्रदर्श पी11 प्रोडक्शन वारंट बाबत प्रार्थना पत्र, प्रदर्श पी12 अभियुक्त अभिषेक उर्फ टोनी को तफ्तीश हेतु सुपुर्द करने बाबत् प्रार्थना-पत्र, प्रदर्श पी13 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त अभिषेक उर्फ टोनी, प्रदर्श पी 14 फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त अभिषेक उर्फ टोनी, प्रदर्श पी15 व पी16 नक्शा व हालात मौका, प्रदर्श पी17 गाड़ी की इनवॉइसस, प्रदर्श पी18 रजिस्ट्रीकरण का अस्थाई प्रमाण-पत्र प्रदर्श पी19 ईन्श्योरेंस की प्रति, प्रदर्श पी20 ईन्श्योरेंस,

प्रदर्श पी21 अंतिम रिपोर्ट, प्रदर्श पी 22(ए) मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श पी23 पी.ड. मुलजिम किशोर, प्रदर्श पी24 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त किशोरसिंह, प्रदर्श पी26 व 26(ए) नक्शा व हालात मौका तस्दीक घटनास्थल अभियुक्त किशोरसिंह प्रदर्शित करवाये गये।

6- अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता लिये गये तो अभियुक्तगण ने गवाहान के कथन गलत होना व स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना बताया। साक्ष्य सफाई पेश करनी चाही परन्तु पेश नहीं की गई। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श डी01 बयान शमसेरसिंह अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता प्रदर्शित करवाये।

7- बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का कथन है, कि अभियुक्तगण ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बंदूक का भय दिखाकर परिवादी की स्कोर्पिओ गाड़ी की लूट कारित की है। अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे साबित किया है अतः दोषसिद्ध किया जावें व दंडित किया जावें।

8- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण श्री रणवीर खींची का कथन है कि परिवादी ने घटना की ताईद नहीं की है। हाजिर अदालत मुल्जिमान को घटना में शामिल होना नहीं बताया है। मुल्जिमान से कोई बरामदगी नहीं की गई है। अभियोजन ने अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं किया है, अतः अभियुक्तगण को बरी किया जावे।

9- उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है-

1- आया अभियुक्तगण ने दिनांक 01-08-2013 को रात्रि ग्यारह बजे वाके जैतसर के पास सड़क आम पर परिवादी शमशेरसिंह की स्कॉर्पिओ गाड़ी जिसके टेम्परेरी नम्बर आर.जे. 07 यू ए 298001 थे, को परिवादी को मृत्यु का भय दिखाकर उससे छीनकर ले जाकर डकैती कारित की ?

2- यदि हां, तो युक्तियुक्त दण्ड क्या हो?

10- विचारणीय प्रश्नों के संबंध में पत्रावली पर विधमान साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण इस प्रकार है-

11- गवाह पी.ड.04 शमसेरसिंह परिवादी का अपने मुख्य परीक्षण में कथन है कि दिनांक 01/08/2013 को रात्रि 09.30 बजे की बात है। स्कोर्पिओ गाड़ी नंबर आर.जे.07-यू.ए.-29800 से परिवादी और देवीसिंह तोमावास जा रहे थे जो श्रीडुंगरगढ से 110 किलोमीटर दूर है। गाड़ी सफेद थी।

साढे नौ बजे जैतासर पहुंचे तो 5-6 आदमी कैम्पर गाड़ी लेकर आये और अपनी गाडी आगे लगा दी। गाड़ी का साईड वाला शीशा तोड़ दिया और बन्दूक दिखाकर इन दोनों को नीचे उतार दिया और इसकी गाड़ी छीन कर ले गये। उन व्यक्तियों की शक्ल देखकर पहचानना बताया और हाजिर अदालत मुलजिम संदीप का पहचानना बताया। फिर ये लोग ट्रक में बैठकर श्रीडुंगरगढ आये और रिश्तेदारो को फोन करके बुलाया फिर रिश्तेदार आ गये और गाड़ी के डुप्लीकेट कागज निकलवाये। फिर श्रीडुंगरगढ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। थाने में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी03 देना व इस पर (ए) से (बी) दो जगह अपने हस्ताक्षर होना बताये। दिनांक 29/08/2013 को पुलिस द्वारा अपने सामने जरिये प्रदर्श पी01 स्कोर्पिओ गाड़ी जब्त करना बताई जिस पर (सी) से (डी) अपने हस्ताक्षर होना बताये। दिनांक 04/08/2013 को स्वयं के सामने घटना स्थल का नक्शा-मौका प्रदर्श पी02 बनना बताया जिस पर (ई) से (एफ) अपने हस्ताक्षर होना बताये। चाक एफआईआर प्रदर्श पी04 पर (ए) से (बी) अपने हस्ताक्षर होना बताये।

12- जिरह में इसका कथन है कि हाजिर अदालत मुल्जिमान संदीप, दिनेश, अभिषेक उर्फ टोनी वारदात में शामिल नहीं थे। संदीप का नाम पुलिस वालो के कहने से बताया था। प्रदर्श पी03 तहरीरी रिपोर्ट पुलिस वालो ने लिखी थी। इसमें क्या लिखा हे नहीं पता। प्रदर्श पी01 व पी02 में क्या लिखा-पढी की ये जानकारी नहीं होना बताई। पुलिस वालो द्वारा सादे कागजों पर अपने हस्ताक्षर करवाना बताया है। पुलिस बयान प्रदर्श डी01 का (ए) से (बी) हिस्सा सुनकर कहा कि मैंने नहीं लिखाया। प्रदर्श डी01 का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि ये गवाह अपने संपूर्ण पुलिस बयान से इंकार करता है। यह सही बताया कि दिनांक 01/08/2013 को हाजिर अदालत मुल्जिमान ने कोई घटना कारित नहीं की। हाजिर अदालत मुल्जिमान द्वारा ना तो बंदूक छीनना बताई और ना ही गाड़ी छीनना बताई। यह गलत बताया कि मुल्जिमान के साथ राजीनामा होने से ये झूठे बयान दे रहा है।

13- इस प्रकार स्वयं परिवादी शमशेरसिंह ने घटना की ताईद नहीं की है और हाजिर अदालत अभियुक्तगण का स्पष्टतः नाम लेकर कहा है कि इनके द्वारा घटना कारित नहीं की गई, ना ही बंदूक दिखाई गई व ना ही इनके द्वारा छीनी गई। इस प्रकार यह अहम गवाह प्रदर्श पी03 तहरीरी रिपोर्ट की ताईद नहीं करता है। इसने वक्त घटना स्वयं के साथ में देवीसिंह नाम का व्यक्ति भी होना बताया है, जो साक्ष्य में परीक्षित नहीं हुआ है। गवाह पी.ड.02 अशोककुमार व पी.ड.03 महेन्द्र तावणिया नक्शा व हालात मौका प्रदर्श 02 व 02(ए) के गवाह है, जो अपनी साक्ष्य में प्रदर्श पी02 पर क्रमशः ए से बी व

सी से डी अपने हस्ताक्षर होना बताते है तथा उक्त हस्ताक्षर पुलिस वालो द्वारा थाने पर ही करना बताते है।

14- गवाह पी.ड.01 बनवारीलाल हैड कॉंस्टेबल का कथन है कि थानेदार निसार खां उप-निरीक्षक के साथ पिलानी जिला झुझुनूं पहुंचकर मुकदमा नंबर 300/2013 में वांछित वाहन स्कोपिओं बरंग सफेद नंबर आर.जे.06-यू.ए.-0011 परिवादी शांतनु कुमार ने थानेदारजी के समक्ष पेश की थी जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी 01 है जो अनुसंधान अधिकारी ने मौके पर तैयार की थी, जिसे कब्जा पुलिस में लिया गया। इस फर्द पर गवाह ने ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताये।

15- इस प्रकार इस गवाह ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 में वाहन स्वामी बताये गये शान्तनु कुमार द्वारा स्कोर्पिओ गाड़ी जब्त करवाना बताई गई है। प्रदर्श पी01 फर्द जब्ती का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि यह दिनांक 29/08/2013 की 05-45 पी.एम. की कस्बा पिलानी जिला झुंझुनू की है। इस फर्द के गवाह पी.ड.04 शमसेरसिंह व पी.ड.01 बनवारीलाल है। प्रदर्श पी03 तहरीरी रिपोर्ट में अभियुक्तगण द्वारा गाड़ी छीनकर ले जाना बताया गया है, परन्तु उक्त गाड़ी वाहन स्वामी शान्तनु से जब्त करना गवाहान ने बताया है, जिस बाबत कोई स्पष्ट स्थिति परिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य में नहीं बताई गई है, कि शान्तनु के पास वह गाड़ी कैसे आई जब अभियुक्तगण उक्त गाड़ी को ले गये थे। बल्कि पी.ड.04 शमसेरसिंह परिवादी ने इस तथ्य से अपनी साक्ष्य में इन्कार किया है कि अभियुक्तगण उक्त वाहन को परिवादी से वक्त घटना छीन कर ले गये हो। नोटिस एम.वी. एक्ट अंतर्गत धारा 133 प्रदर्श पी06 का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि इसमें वाहन स्वामी शांतनु कुमार ने वक्त घटना गाड़ी शमसेरसिंह द्वारा चलाना बताया हो और उक्त शमसेरसिंह पी.ड.04 घटना की ताईद नहीं करता है। वह यह तो स्वीकार करता है कि वक्त घटना वह स्वयं गाड़ी चला रहा था परन्तु जिरह में हाजिर अदालत अभियुक्तगण द्वारा गाड़ी छीनकर ले जाने से इंकार किया है।

16- गवाह पी.ड.05 निसार खां का कथन है कि दिनांक 04.08.2013 को मैं श्रीडूंगरगढ पुलिस थाना में एस-आई- के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर 300/2013 की तफतीश श्री दिनेश कुमार सी.आई ने मुझे दी। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 पर सी से डी तत्कालीन थानाधिकारी दिनेश कुमार के हस्ताक्षर है जिनके हस्ताक्षर उनके साथ काम करने से पहचानता हूं। प्रदर्श पी 03 पर ई से एफ कार्यवाही रिपोर्ट ही घटनास्थल पर जाकर उसी दिन मेरे द्वारा मुस्तगिस शमशेर सिंह की निशानदेही से नक्शामौका व हालातमौका तैयार किया गया, जो प्रदर्श पी 02 है जिस पर जी से एच मेरे

हस्ताक्षर है, ई से एफ परिवारदी शमशेर सिंह के हस्ताक्षर हालात मौका प्रदर्श पी 02 ए पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् मैंने परिवादी शमशेर सिहं गवाह देवीसिंह के बयान कहे अनुसार लिए। एफ0आई0आर0 प्रदर्श पी 04 पर सी से डी तत्कालीन एस.एच.ओ दिनेश कुमार है। मेरे द्वारा अनुसंधान में पुलिस थाना पीलाणी जाकर एफ0आई0आर0 संख्या 252/2013 पी0एस पिलाणी की प्रमाणित प्रति ली गई और शामिल की गई। प्रमाणित प्रति प्रदर्श 05 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर सी से डी शामिल पत्रावली का नोट है साथ ही पुलिस थाना पिलानी का एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी फर्द जब्ती शामिल पत्रावली की गई। उक्त स्कॉर्पियो सफेद रंग में आर0जे 06 यू.ए 0011 की फर्द जब्ती मेरे द्वारा तैयार की गई जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। स्कॉर्पियो का मालिक शान्तनु कुमार के जी से एच हस्ताक्षर है जिन पर सी से डी जी से डी गवाहान के हस्ताक्षर है। वाहन मालिक में धारा 133 एम0वी एक्ट का नोटिस दिया गया जो प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर, सी से डी वाहन मालिक शान्तनु के हस्ताक्षर है तथा शान्तनु द्वारा नोटिस का जवाब ई से एफ है। अनुसंधान में अभियुक्त संदीप कुमार यादव को मेरे द्वारा दिनांक 22.01.2014 में जरिये फर्द गिरफतार किया जिसकी फर्द प्रदर्श पी 07 पर ए से बी मेरे, सी से डी व ई से एफ गवाहान के हस्ताक्षर है तथा जी से एच मुलजिम संदीप कुमार के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान दिनांक 23.01.2014 को दोपहर में धारा 27 की ईतला संदीप कुमार द्वारा दी गई। जो प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी मेरे व सी से डी अभियुक्त संदीप कुमार के हस्ताक्षर है। अभियुक्त संदीप कुमार की इतला अनुसार घटनास्थल तस्दीक कर घटनास्थल का नक्शामौका व हालातमौका तैयार किया गया जो प्रदर्श पी 09 है। नक्शामौका प्रदर्श पी 09 पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर, सी से डी व ई से एफ एक गवाह के हस्ताक्षर है, जी से एच मुलजिम संदीप यादव के हस्ताक्षर है। घटनास्थल का हालातमौका प्रदर्श पी 10 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा अभियुक्त संदीप यादव को गिरफतार करने से पूर्व सम्बन्धित न्यायालय से पी.ड. 03 हेतु प्रार्थना पत्र दिया जो प्रदर्श पी 11 है जिस पर एच.एच.ओ के ए से बी हस्ताक्षर है। अभियुक्त अभिषेक उर्फ टोनी को अनुसंधान हेतु लेने के लिए सम्बन्धित न्यायालय में मेरे द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया जाकर पी.ड. प्राप्त किया गया। लिखित प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 12 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है और सी से डी ए.पी.पी के हस्ताक्षर है। दिनांक 20.03.2015 को मेरे द्वारा अभियुक्त अभिषेक उर्फ टोनी को जरिये फर्द गिरफतार किया गया। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है, और सी से डी

व ई से एफ गवाहान के हस्ताक्षर है, जी से एच अभियुक्त अभिषेक के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान अभियुक्त अभिषेक द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इतला दी गई जो प्रदर्श पी 14 है जिस पर ए से बी मेरे व सी से डी अभियुक्त अभिषेक के हस्ताक्षर है। अभियुक्त अभिषेक की इतला अनुसार घटनास्थल तस्दीक कर नक्शामौका व हालातमौका तैयार किया गया। नक्शामौका प्रदर्श पी 15 है जिस पर ए से बी मेरे, सी से डी व ई से एफ गवाहान, व जी से एच अभियुक्त अभिषेक के हस्ताक्षर है। हालातमौका प्रदर्श पी 16 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। इस प्रकरण में अभियुक्त संदीप कुमार की चार्जशीट 90 दिन हो रहे है इस कारण चालान पेश कर दिया था। जिसमें अभियुक्त अभिषेक को अभियुक्त मानते हुए चालान पेश किया। मैंने अपने अनुसंधान में संदीप यादव, हरिराम उर्फ हरिसिंह, किशोरसिंह, अभिषेक उर्फ टोनी, दिनेश यादव के खिलाफ धारा 395 का अपराध प्रमाणित पाया। चालान पेश हेतु सम्बन्धित पत्रावली तत्कालीन थानाधिकारी को दे दी गई। तत्पश्चात् अभियुक्त संदीप कुमार यादव के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी गई तथा शेष मुलजिमानों की चार्जशीट धारा 299 सी.आर.पी.सी में पेश की गई। स्कॉर्पियो गाड़ी के खरीदने का बिल प्रदर्श पी 17 है जिस पर ए से बी मेरे शामिल पत्रावली करने के हस्ताक्षर है। उक्त गाड़ी अस्थायी नंबर का जारी प्रमाण पत्र की फोटो प्रति आर.जे.07 यू.ए 298001 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की थी जो प्रदर्श पी 18 है जिस पर ए से बी मेरे शामिल पत्रावली करने के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 19 व 20 उक्त गाड़ी की इन्श्योरेन्स है जिस पर ए से बी मेरे शामिल पत्रावली करने के हस्ताक्षर है। गाडी के कागजात प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये थे सभी कागजात पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

17- जिरह में इस गवाह ने कहा है कि इसके द्वारा मुल्जिमान से कोई बरामदगी नहीं की गई है। मुल्जिमान की शिनाख्त परेड नहीं करवाई गई है। मुल्जिमान को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। स्कोर्पिओ नंबर आर.जे.07-यू.ए.-298001 स्कोर्पिओं के मालिक से बरामद की थी। इस प्रकार इस गवाह के कथनानुसार भी अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं की गई है। वे किस प्रकार अपराध से संलिप्त है, ये भी इसकी साक्ष्य में नहीं पाया गया है।

18- गवाह पी.ड.06 इस्लाम खां अनुसंधान अधिकारी का मुख्य परीक्षण में कथन है कि मैं दिनांक 18.04.2014 को थानाधिकारी पी.एस डूंगरगढ के पद पर पदस्थापित था। प्रकरण का अनुसंधान आई.ओ ने पूर्ण कर अभियुक्तगण सन्दीप कुमार, हरीराम उर्फ हरीसिंह, किशोरसिंह, अभिषेक उर्फ टोनी, दिनेश ने जुर्म धारा 395 भा.दं.सं में प्रमाणित माना जाकर एफ. आई.

आर. 300/2013 में प्रमाणित अभियुक्त सन्दीप को, जरिये फर्द गिरफतार किया था तथा शेष उपरोक्त अभियुक्तगणों की अदम गिरफतारी होने पर उक्त सभी अभियुक्तगण, हरीराम, किशोरसिंह, अभिषेक उर्फ टोनी, दिनेश के विरूद्ध जुर्म धारा 395 आई.पी.सी में 299 सी.आर.पी.सी. के तहत चालान माननीय न्यायालय में पेश किया था, जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। चार्जशीट प्रदर्श पी 21 है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है। जिरह में इस गवाह ने स्वयं द्वारा प्रकरण में कोई अनुसंधान करना नहीं बताया है सिर्फ नतीजा पेश करना बताया है।

19- गवाह पी.ड.07 उदयसिंह मालखाना इन्चार्ज प्रकरण संख्या 300/2013 में दिनांक 02/09/2013 को अनुसंधान अधिकारी निसार खां द्वारा जब्तशुदा स्कोर्पिओ गाड़ी इंजन नंबर MHC4L39954 व चैसिस नंबर MAITA2MHMCC-2LS7405 मालखाना में जमा कराने हेतु पेश करने पर इसका इन्द्रार्ज मालखाना रजिस्टर की क्रम संख्या 561 पर करना बताया। मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी22 व इसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी22(ए) होना व इस पर ए से बी अनुसंधान अधिकारी निसार खां के हस्ताक्षर होना बताये।

20- गवाह पी.ड.08 राजेन्द्रकुमार का कथन है कि दिनांक 03/08/2013 को वह पुलिस थाना पिलानी में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यवाहक थानाधिकारी था। दिनांक 03/08/2013 को मुखबीर की सूचना मिलना बताया कि संदीप यादव, दिनेश यादव, किशोरसिंह, हरिरिसंह, अभिषेक बैरी गांव की जोहड़ी में स्कोर्पिओ गाड़ी नंबर आर.जे.06-यू.ए.-0011 में कैर के पेड़ों में भारी मात्रा में हथियारों के साथ डकैती की योजना बना रहे है। इस सूचना पर जाब्ता को लेकर मौका पर पहुंचा तो दिनेश तथा संदीप को मौके पर गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से गाड़ी नंबर आर.जे.06-यू.ए.-0011 बरामद की गई। जिसके आधार पर मुकदमा नंबर 252/2013 पुलिस थाना पिलानी में दर्ज की गई। जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी05 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना बताये। उक्त जब्ती की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली होना बताई है। जिरह में कहा है कि वाहन मालिक कौन है पता नहीं, क्योंकि इसके द्वारा उक्त प्रकरण का अनुसंधान नहीं किया गया। ना ही जब्ती के समय वीडियोग्राफी करवाई व ना ही कागजात प्राप्त किये।

21- इस प्रकार दिनांक 03/08/2013 को उक्त गाड़ी अभियुक्त संदीप से अन्य प्रकरण में जब्त करना बताई है। हस्तगत प्रकरण में गाड़ी फर्द जब्ती दिनांक 29/08/2013 की है।

22- गवाह पी.ड.09 शान्तनु पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा स्वयं की स्कोर्पिओ गाड़ी नंबर आर.जे.07-यू.ए.-298001 का ड्राईवर पी.ड.04 शमशेर होना बताया है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी01 व नोटिस अंतर्गत धारा 133 एम.वी. एक्ट प्रदर्श पी06 पर गवाह ने अपने हस्ताक्षर होना बताये है। घटना के बारे में स्वयं को यह जानकारी नहीं होना बताई कि गाड़ी कौन छीनकर ले गया।

23- गवाह पी.ड.10 रामफलसिंह का कथन है कि दिनांक 26.05.2017 को पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ में मैं हैड कानि के पर पद तैनात था, उस रोज एसएचओ डूंगरगढ ने एफआईआर नंबर 300/2013 में वांछित अपराधी किशोरसिंह का प्रोडक्शन वारंट जारी करवाकर मुझे मुलजिम को गिरफ्तार करने हेतू पत्रावली मुझे सुपुर्द की थी। मुलजिम किशोरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत, निवासी रामपुरा पीएस हमीरवास जिला चूरू का जारीसुदा प्रोडक्शन वारंट प्रदर्श पी23 है। उसी रोज मुलजिम किशोरसिंह को गिरफ्तार करने के लिए जिला कारागृह चुरू पहुंचकर मुलजिम किशोरसिंह को जरिए फर्द गिरफ्तार किया, जिसकी फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम किशोरसिंह प्रदर्श पी24 है जिस पर ए से बी मेरे, सी से डी मुलजिम के, ई से एफ मौतबिर दिनेश कुमार, व जी से एच मौतबिर अविनाश के हस्ताक्षर है। दिनांक 27.05.2017 को जेल हिरासत मुलजिम किशोरसिंह मुझे पास बुलाकर सुरक्षापूर्वक मुझे बताया कि हमने जो स्कोर्पियों गाड़ी आर.जे.07-यू.ए.-298001 को छीनी थी वह जगह आपको साथ चलकर बता सकते है। फर्द इत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अजाने मुलजिम किशोरसिंह प्रदर्श पी25 है, जिस पर ए से बी मेरे, सी से डी अभियुक्त के हस्ताक्षर है। नक्शा-मौका व हालात मौका घटनास्थल तस्दीक अजाने मुलजिम किशोरसिंह प्रदर्श पी26 है जिस पर ए से बी मेरे, सी से डी अभियुक्त किशोरसिंह व ई से एफ मौतबीर कैलाश, व जी से एच मौतबीर महेंद्र के हस्ताक्षर है। हालात मौका प्रदर्श पी26ए है जिस पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर है।

24- उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि अभियुक्त किशोरसिंह की गिरफ्तारी की सूचना किसे दी गई थी इस बात का अंकन प्रदर्श पी24 में नहीं है। प्रदर्श पी24 गिरफ्तारी के वक्त जिला कारागृह चुरू में और भी लोग मौजूद थे जिनको मैं नहीं जानता। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी24 में मौतबीर थाने के ही थे। यह कहना सही है कि मैंने प्रदर्श पी24 में स्वतंत्र मौतबीर नहीं रखा। मुलजिम किशोरसिंह को जिला कारागृह चुरू से लाने के लिए गए उस समय रोजनामचा रवानगी रपट डाली थी, जो आज पत्रावली में नहीं है। चुरू से हम लगभग शाम को सात से सवा सात बजे के बीच रवाना हुए थे। श्री डुंगरगढ हम साढे नौ से दस बजे पहुंच गए थे।

25- गवाह पी.ड.11 भंवरलाल फर्द गिरफ्तारी का गवाह है जिसका कथन है कि दनांक 22.01.2014 को पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ में कानि के पद पर तैनात था, उस रोज अनुसंधान अधिकारी निसार खां एस.आई. ने मुकदमा नंबर 300/2013 में वांछित मुलजिम संदीप कुमार पुत्र महेन्द्रसिंह जाति यादव निवासी रामपुरा पुलिस थाना हम्मीरवास जिला चूरू को जरिये फर्द मेरे सामने गिरफतार किया था जिसकी फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 07 है जिस पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। जिरह में कथन किया है कि मुलजिम की गिरफतारी की सूचना अनुसंधान अधिकारी ने किसे दी थी मुझे नहीं पता, मेरे सामने नहीं दी थी। मुलजिम संदीप को न्यायालय परिसर डूंगरगढ से गिरफतार किया था। उस रोज मुलजिम डूंगरगढ न्यायालय में आया हुआ था। मैं संदीप को शक्ल से पहले से नहीं पहचानता था। संदीप को कितने बजे गिरफतार किया था, समय याद नहीं है। कोर्ट परिसर में मुलजिम को कौनसी दिशा में गिरफतार किया था, आज याद नहीं है। संदीप को मुकदमा नंबर 300/2013 में गिरफ्तार किया था।

26- इस प्रकार उपरोक्त गवाहान के कथनानुसार प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण से स्कोर्पिओ गाड़ी संख्या आर.जे.07-यू.ए.-298001 जब्त नहीं की गई है। परिवादी पी.ड.04 शमशेरसिंह ने तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी03 व एफआईआर के तथ्यों की पुष्टि नहीं की है। हाजिर अदालत अभियुक्तगण का घटना में शामिल होना नहीं होना शमशेरसिंह पी.ड.04 ने बताया है अन्य कोई साक्ष्य अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित करने में पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 395 भा.द.सं. का आरोप संदेह से परे साबित नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्तगण अपराध अन्तर्गत धारा 395 भा.द.सं. के आरोप में संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त होने के पात्र है।

आदेश

23- अतः अभियुक्तगण संदीप कुमार पुत्र महेन्द्रसिंह, हरिराम उर्फ हरिसंह पुत्र निराणाराम, अभिषेक उर्फ टोनी पुत्र गजराजसिंह, दिनेश पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण रामपुरा पुलिस थाना हमीरवास जिला चूरू को भा.द.सं. की धारा 395 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि द.प्र.सं. की धारा 437-ए के तहत प्रत्येक अभियुक्त दस-दस हजार रूपये के जमानत-मुचलके पेश कर तस्दीक कराए कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर वे अपीलीय न्यायालय के समक्ष

उपस्थित हो जायेंगे। प्रकरण में अभियुक्त किशोरसिंह पुत्र अमरसिंह दिनांक 25-08-2025 से **मफरूर** है अतः पत्रावली पर लाल स्याही के पेन से नोट अंकित हो कि पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे अभियुक्त किशोरसिंह के उपस्थित आने पर पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जावेगी।

(सरिता नौशाद)
अपर जिला न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

24-निर्णय आज दिनांक 16-03-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सरिता नौशाद)
अपर जिला न्यायाधीश
श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर